भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3134
उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

ओडिशा में एमएसएमई की स्थापना

3134. श्री सप्तगिरि उलाकाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा के केबीके क्षेत्र में आज की तिथि तक स्थापित किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों/उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;
(ख) इनमें से कार्यशील/अकार्यशील एमएसएमई की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने ओडिशा के केबीके क्षेत्र विशेषकर रायगढ़/कोरापूट में लघु पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रयास प्रक्रियाधीन है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) : ओडिशा के केबीके क्षेत्र (बालंगीर, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाडा, रायगडा और सोनपुर जिले) में उद्योग आधार पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या 05.07.2019 की स्थिति के अनुसार 5382 है।

(ख) : केबीके क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जिनका पंजीकरण उद्योग आधार पोर्टल पर रद्द किया गया है की कुल संख्या 05.07.2019 की स्थिति के अनुसार 2055 है।

(ग) और (घ) : सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन की योजना, टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, मिशन सौर चरखा (एमएससी), पारम्परिक उद्योगों के पुनरूत्थान के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), खरीद और विपणन सहायता योजना, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (एमएसई) तथा क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) शामिल हैं।

****